



कानपुर नगर निगम

वर्ष 2023-24 में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु

सूचना

कानपुर नगर निगम में कार्यरत पूर्व के ठेकेदारों तथा अन्य इच्छुक ठेकेदारों से नगर निगम के अभियंत्रण कार्या हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंजीकरण हेतु विभिन्न श्रेणियों में ठेकेदारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं साथ ही जिन ठेकेदारों द्वारा अपने नवीनीकरण कराये जाने हैं उनको भी सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित फार्म पर वांछित औपचारिकता पूर्ण करते हुये अपने आवेदन पत्र नगर निगम में जमा कर दें। पूर्ण रूप से भरे हुये फार्म मुख्य अभियंता (सिविल) कार्यालय में जमा किये जायेंगे। पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नगर निगम में प्रचलित पंजीकरण नियमावली के समस्त उपबन्ध/नियम यथावत् लागू रहेंगे। नवीनीकरण/पंजीकरण फार्म मुख्य अभियंता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शेष शर्त पंजीकरण/नवीनीकरण फार्म में उल्लिखित हैं।

1. श्रेणीवार प्रमुख औपचारिकतायें निम्नवत हैं:-

श्रेणी	अधिकृत निविदा धनराशि	जमानती धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण /	नवीनीकरण शुल्क
सुपर 'ए' (एच.एम.पी.)	हाटमिक्स प्लान्ट से किये जाने वाले समस्त कार्य	150000/-	50 लाख	50000/-	20000.00
सुपर 'ए'	रुपये 50 लाख से अधिक	75,000/-	30 लाख	25000/-	15000.00
'ए'	रुपये 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	40,000/-	20 लाख	15000/-	10000.00
'बी'	रुपये 5 लाख से अधिक 20 लाख तक	25,000/-	10 लाख	10000/-	5000.00
'सी'	रुपये 2 लाख से अधिक 5 लाख तक	20,000/-	02 लाख	8000/-	3000.00

निविदा मूल्य हेतु निम्नानुसार पूर्वस्वीकृत दरें प्राविधानित हैं:-

अधिकृत निविदा धनराशि	निविदा मूल्य
धनांक रु0 1 लाख तक निविदा	100.00
धनांक 100001 से 5 लाख तक की निविदा	500.00
धनांक 500001 से 20 लाख तक की निविदा	1000.00
धनांक 2000001 से 30 लाख तक की निविदा	1500.00
धनांक 30 लाख से अधिक लागत की निविदा	2000.00

पंजीकरण/नवीनीकरण फार्म नगर निगम की वेब साइट www.kmc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

०९१ ०९०५१८२
(मनीष अवरथी)
मुख्य अभियंता

नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर



कानपुर नगर निगम

वर्ष 2023–24 में ठेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. ठेकेदार /फर्म का नाम :
2. ठेकेदार/फर्म के सदस्यों का नाम व पता :
3. श्रेणी
4. विगत वर्ष रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की श्रेणी :.....
5. स्वामी अथवा भागीदार के राजपत्रित/नगर निगम अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो ।

पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु निम्नवत नियम व शर्तें होंगी :-

6. समस्त श्रेणीबद्ध ठेकेदारों को उनको अपनी सीमा के अनुरूप ई-टेंडरिंग के द्वारा नगर निगम में एन0आई0सी0 की बेवसाइट etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा प्रदत्त की जायेगी जिसमें निविदा के साथ निविदा मूल्य एवं जमानती धनराशि भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी।
7. नवीनीकरण हेतु फर्म को अपने विगत वर्ष के पंजीकरण की श्रेणी का उल्लेख करते हुये गत वर्ष किये गये कार्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :

क्र0सं0	जोन सं0	कार्य का नाम	कार्यादिश धनांक	निविदा दर	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य विलम्ब से करने का कारण

8. श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या :
9. श्रमिकों की संख्या जिन्हें श्रम विभाग में पंजीकृत कराया गया है :
10. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संख्या :
11. आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन संख्या (पेन नम्बर) :
12. आधार कार्ड नम्बर :
13. जिलाधिकारी द्वारा जारी चारित्र प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि :
14. जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र की संख्या व तिथि :
15. अपने फर्म व निवास का प्रमाणित पता जिसके लिये टेलीफोन का बिल ,राशन कार्ड ,, आधार कार्ड, परिचय पत्र जो निर्वाचन आयेग से जारी किया गया हो अथवा तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
16. यदि भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म है तो उसके लिये रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकृत रजिस्टर्ड डीड की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
17. यदि फर्म प्राईवेट लिमिटेड अथवा लिमिटेड है तो रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तथा आर्टिकल ऑफ मेमोरेन्डम भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
18. निर्धारित जमानती धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैकों की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना होगा जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कानपुर नगर निगम के नाम बन्धक होगी जो रिफन्डेवुल होगी ।
19. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ विगत तीन वित्तीय वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण जिसमें विभाग के नाम का उल्लेख किया गया हो ।

20. हॉट मिक्स प्लाण्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु शहर से स्थापित प्लाण्ट की दूरी, प्लाण्ट के स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं सामान्य पंजीकरण/नवीनीकरण के समस्त बिन्दुओं का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। हॉट मिक्स प्लाण्ट धारक श्रेणी में पंजीकरण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. उच्च श्रेणी का ठेकेदार अपने से निम्न समस्त श्रेणी में निविदा डाल सकता है परन्तु निम्न श्रेणी का ठेकेदार उच्च श्रेणी में निविदा नहीं डाल सकता है।
22. ठेकेदार द्वारा इस आषय का शपथ पत्र साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु वांछित प्रपत्र सत्य हैं, कूटरचित नहीं हैं।
23. ठेकेदारों का पाँच वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, जो निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही कार्य ले सकेंगे।

श्रेणी	अधिकृत निविदा धनराशि	जमानती धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण /	नवीनीकरण शुल्क
सुपर "ए" (एच.एम.पी.)	हाटमिक्स प्लान्ट से किये जाने वाले समस्त कार्य	150000/-	50 लाख	50000/-	20000.00
सुपर "ए"	रुपये 50 लाख से अधिक	75,000/-	30 लाख	25000/-	15000.00
"ए"	रुपये 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	40,000/-	20 लाख	15000/-	10000.00
"बी"	रुपये 5 लाख से अधिक 20 लाख तक	25,000/-	10 लाख	10000/-	5000.00
"सी"	रुपये 2 लाख से अधिक 5 लाख तक	20,000/-	02 लाख	8000/-	3000.00

निविदा मूल्य हेतु निम्नानुसार पूर्वस्वीकृत दरें प्राविधानित हैं:-

अधिकृत निविदा धनराशि	निविदा मूल्य
धनांक रु0 1 लाख तक	100.00
धनांक रु. 5 लाख तक	500.00
धनांक रु. 20 लाख तक	1000.00
धनांक रु. 30 लाख तक	1500.00
धनांक रु. 30 लाख से अधिक की धनराशि	2000.00

मैं /हम घोषणा करता/करते/करती हूँ/हैं कि राजाज्ञा सं 455 /ए0सी0पी0 0023 पी0डब्लू0डी0 73 एम0एस0ए0/96 दिनांक 22.11.1963 के अनुसार हमारा कोई निकट का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। कार्य करने की दशा में उनका नाम मय पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा/रही हूँ/हैं। निकट सम्बन्धी से तात्पर्य पिता, माता-सहित बहन, बहनोई, पुत्र, पुत्री, ससुर, सास, दामाद स्वयं का चचेरा भाई, पत्नी एवं दादी के अतिरिक्त पुत्र वधु तथा चाचा व सगा मामा।

शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है एवं मैं/हम नियमावली एवं निविदा शर्तों के अनुसार कार्य करूँगा/करूँगी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा वर्ष 2023–24 में श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर)

नाम :-

पता :-

कार्यरत दूरभाष संख्या :-

ठेकेदार का वर्ष 2023–2024 में () श्रेणी हेतु / करने की संस्तुति की जाती है।

नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदारी के पंजीकरण व्यवितरण/संस्था के रूप में किया जा सकता है।
2. ठेकेदारी के पंजीकरण यदि संस्था अथवा सुझाईदारी के रूप में है तो हैसियत प्रमाण पत्र संस्था के नाम देय होगा।
3. ठेकेदार किसी भी अन्य संस्था में काली सूची में दर्ज न हों।
4. वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह
 1. आचरण की दृष्टि से संबन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे संबन्ध रहा हो।
 2. दिवालिया हो गया है एवं उससे छुटकारा न पा सका हो अथवा
 3. अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
 4. नगर निगम के अन्तर्गत लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो अथवा
 5. नगर निगम की सेवा में किसी कर्मचारी/अधिकारी से आर्थिक रूप से या अन्य किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो अथवा पूर्व में पंजीकरण काली सूची में/डिबार न किया गया प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में नगर आयुक्त आपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते हैं।
5. ठेकेदारी में पंजीकरण निम्न श्रेणियों में कराया जा सकता है।
 1. हाट मिक्स प्लान्ट धारक सुपर ए
 2. सुपर ए
 3. ए
 4. बी
 5. सी
6. हाट मिक्स प्लान्ट धारक सुपर ए:-

हाट मिक्स प्लान्ट धारक किसी भी धनराशि तक के कार्य हेतु अर्ह होंगे तथा उनको अपने तकनीकी स्टाफ जो कि स्नातक अभियन्ता हों की जानकारी के साथ-साथ अपने हॉट मिक्स प्लान्ट की सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रदूषण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजीकरण के साथ देना अनिवार्य होगा।

सुपर ए:-

रु 20 लाख से अधिक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। संस्था को स्नातक अभियन्ता/डिप्लोमाधारी अभियोग्य ठेकेदार/फर्म को नियुक्त कर अवगत कराना होगा।

ए श्रेणी:-

रु 50 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। संस्था को डिप्लोमाधारी अभियोग्य ठेकेदार/फर्म को नियुक्त कर अवगत कराना होगा।

बी श्रेणी:-

रु 20 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। बी श्रेणी के ठेकेदार को तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी जिनके पास पूर्ण कालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हो।

सी श्रेणी:-

रु 5 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। सी श्रेणी के ठेकेदार को तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नहीं होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारों को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी जिनके पास पूर्ण कालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हो।

7. नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों अथवा उनके सम्बन्धियों

को ठेकेदार के रूप में पंजीकरण/कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शपथ पत्र पंजीकरण/नवीनीकरण के समय देना अनिवार्य होगा:-

शपथ पत्र

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

मैं

निवासी का स्थाई पता

अस्थायी पता/स्थानीय पता
का निवासी /निवासिनी हूँ। मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं फर्म का पार्टनर/ प्रोपराइटर हूँ:-
2. मेरी फर्म किसी विभाग द्वारा कभी काली सूची में नहीं डाली गई है। फर्म के किसी पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से काली सूची में नहीं डाला गया है।
3. फर्म के ऊपर किसी विभाग का कोई बकाया नहीं है।
4. फर्म के किसी पार्टनर/ प्रोपराइटर को न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।
5. मैं /हम घोषणा करता/करते/करती हूँ/है कि राजाज्ञा सं 455 /ए०सी०पी० 0023 पी०डब्ल०डी० 73 ए०ए०४०/९६ दिनांक-22.11.1963 के अनुसार हमारा कोई निकट का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। कार्य करने की दशा में उनका नाम मग पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा/रही हूँ/है।
6. शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है। एवं मैं/हम नियमावली एवं निविदा शर्तों के अनुसार कार्य करेंगा/करेंगी।
7. फर्म द्वारा पंजीकरण के समय संलग्न किये गये समस्त प्रपत्र सत्य है एवं किसी भी प्रकार से कूटरचित नहीं है।

मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशोहवाश में स्वकथित से पूरी सत्य निष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र लिख रहा हूँ। ईश्वर मदद करें।

शपथी का पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता